(125)

मान्नीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला रीवा, मध्यप्रदेश।

===

R-3295-II/14

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 201—

श्री बी.बी.एस. चौहान एड. द्वारा आज दिनांक 02.09.14 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

1. चन्द्रप्रताप सिंह तनय दिनेश प्रताप सिंह

2. ललन सिंह तनय दिनेश प्रताप सिंह

मा0 पथरकटी, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

===========निगरानीकर्तागण

522
2.9.14

क्रमांक 3053
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक______को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. रघुनाथ सिंह पिता सुबेदार सिंह
2. विश्वनाथ सिंह पिता सुबेदार सिंह
3. नर्मदा सिंह पिता सुबेदार सिंह
4. जमुना सिंह पिता सुबेदार सिंह
5. विश्वनाथ सिंह पिता सुबेदार सिंह
6. वंशधारी सिंह पिता विश्वनाथ सिंह
7. शिवबालक सिंह पिता विश्वनाथ सिंह
8. लक्ष्मिन सिंह पिता विश्वनाथ सिंह
9. जगधारी पिता विश्वनाथ सिंह
10. फूलमती पिता वंशधारी सिंह
11. हीरा सिंह पिता वंशधारी सिंह
12. अर्जुन सिंह पिता वंशधारी सिंह
13. राहुल सिंह पिता वंशधारी सिंह

क्रमशः

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3295-II/14 जिला सिंगरौली

चन्द्रप्रताप सिंह/रघुनाथ सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
1-10-15	1. प्रकरण ग्राह्यता पर आदेश हेतु लिया गया। 2. आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/12–13 के अंतरिम आदेश दिनांक 24.07.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय (अपर कलेक्टर सिंगरौली) के समक्ष सन 1957–58 से 60–61 के खसरा की प्रतियां संहिता की धारा 49 के साथ पेश की गयी थी, जिसे प्रश्नाधीन आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि " निम्न न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था, खसरा के नकलों की प्रतियां कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जिसके संबंध में उपलब्ध न होने से प्रस्तुत न किया जाना, का तर्क मान्य योग्य नहीं है। यह अपील इस न्यायालय में 25 वर्षो से प्रचलित है, वर्ष 13 में प्रस्तुत धारा 49 का यह आवेदन इस स्टेज पर स्वीकार किया जाना उचित नहीं है, क्योंकि आवेदन में कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है।" 3 मेरे मत में खसरा वर्ष 1957–58 से 60–61 की प्रविष्टि लोक अभिलेख की प्रमाणित प्रति है, जिसके संबंध में प्रतिरक्षा का अवसर दूसरे पक्ष को देकर न्यायहित में दस्तावेज ग्रहण किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
	संहिता की धारा 49 के अधीन न्यायालय को जो शक्ति अपीलीय अधिकारी को अपील के निराकरण संबंधी प्राप्त हैं इसका प्रयोग करते हुए दस्तावेज ग्रहण किये जा सकते हैं। तद्नुसार निगरानी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि विपक्षी को उक्त बिन्दु पर खण्डन का अवसर देते हुये गुण–दोष पर प्रकरण का निराकरण विधिवत उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये करें। 3. आदेश की प्रतियां अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। 4. प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। 1.10.18 (आशीष श्रीवास्तव) सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0	